भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3670
दिनांक 17 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

आवारा पशुओं की देखभाल

3670. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023-24 के दौरान देश में पंजीकृत आवारा पशुओं की देखभाल करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी आश्रय गृहों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आश्रय गृहों में स्थान और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण आवारा पशुओं की देखभाल में लापरवाही के संबंध में वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का सरकारी और गैर-सरकारी आश्रय गृहों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव-जंतुओं के रोगों का निवारण; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और प्रैक्टिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए राज्यों को कानून बनाने की अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ब) के अनुसार स्थानीय निकाय गोपशु बाड़ों और पिंजरापोल के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए राज्य, आवारा गोपशुओं को रखने हेतु पंचायतों को गोपशु अहाती (कांजी गृहों)/गौशाला आश्रय (सामुदायिक संपत्ति) स्थापित करने और संचालित करने के लिए भी सक्षम बनाएंगे। कई राज्यों ने आवारा गोपशुओं के लिए गौशालाएँ और आश्रय गृह स्थापित किए हैं और उन पशुओं के चारे की व्यवस्था की है। देश में आश्रय गृहों के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है। गौशालाएं आवारा गोपशुओं को भी आश्रय प्रदान करती हैं। मूल पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस)-2023-24 में दर्ज जानकारी के अनुसार, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में राज्यवार गौशालाओं की संख्या निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गौशालाओं की संख्या (दिनांक 31.03.2024 तक)
1	आंध्र प्रदेश	56
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	16
4	बिहार	87
5	छत्तीसगढ	126
6	गोवा	9
7	गुजरात	1689
8	हरियाणा	645
9	हिमाचल प्रदेश	240
10	जम्मू और कश्मीर	36
11	झारखंड	31
12	कर्नाटक	295
13	केरल	0
14	मध्य प्रदेश	2190
15	महाराष्ट्र	417
16	मणिपुर	0
17	मेघालय	0
18	मिजोरम	0
19	नागालैंड	0
20	ओडिशा	95
21	पंजाब	525
22	राजस्थान	2695
23	सिक्किम	1
24	तमिलनाडु	33
25	तेलंगाना	75
26	त्रिपुरा	0
27	उत्तराखंड	0
28	उत्तर प्रदेश	8112
29	पश्चिम बंगाल	26
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*	0
31	चंडीगढ़	8
32	लद्दाख	1
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8
34	दिल्ली	4
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	0
अखिल भारतीय		**17420**

स्रोत: मूल पशुपालन सांख्यिकी-2024

इसके अलावा, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड पशु कल्याण संगठनों को मान्यता दे रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने 51 पशु कल्याण संगठनों को मान्यता दी है, जिनकी राज्यवार सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों की संख्या**
01	आंध्र प्रदेश	01
02	हिमाचल प्रदेश	02
03	हरियाणा	06
04	कर्नाटक	02
05	महाराष्ट्र	08
06	मध्य प्रदेश	05
07	मिजोरम	01
08	ओडिशा	03
09	पंजाब	04
10	राजस्थान	04
11	तमिलनाडु	03
12	उत्तराखंड	01
13	उत्तर प्रदेश	11
	कुल	51

(ख) वर्ष 2023-24 के दौरान लापरवाही, स्थान की कमी और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण पशु आश्रय में मौत सहित आवारा पशुओं पर की गई क्रूरता के संबंध में भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ग) और (घ) जी नहीं। आवारा पशुओं का प्रबंधन और नियंत्रण स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य सरकार का कार्य है। राज्य सरकार गौशालाएं स्थापित कर रही है और अनुदान दे रही है। चूंकि मामला राज्य के अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार वित्तीय आवंटन में वृद्धि पर विचार नहीं कर रही है।

*****